न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 100 **दायर दिनांक : 17.05.2017**

देवीलाल पुत्र श्री रतुराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....वादी

बनाम

राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार भूमि अधिकारी सूरतगढ़, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

....प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.ए. 1955

उपस्थितः

1. श्री अशोक कुमार छाबड़ा, अभिभाषक वादी सं. 1
2. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ प्रतिवादी

निर्णय **दिनांकः 04/02/2020**

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई, प्रकरण के मुख्य तथ्य इस प्रकार से है कि वादी द्वारा यह वाद पत्र घोषणात्मक अन्तर्गत धारा 88 एवं 209 आर.टी.ए. 1955 में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझ वादी देवीलाल पुत्र श्री रत्तूराम जाति जाट निवासी सरदारपुराखर्था को रोही सरदारपुराखर्था में उपनिवेशन विभाग द्वारा ख.न. 199/2 में 25.00 बीघा भूमि आरजी काश्त पर सम्वत् 2031 में (सन 1974) में अलौट की गई थी जिसका नवीनीकरण भी किया जाता रहा है। उक्त भूमि अलौट होने के पश्चात मौका पर कब्जा पटवारी हल्का द्वारा दे दिया गया भूमि खसरा जात की होने वा सींव इत्यादि नहीं होने के कारण पटवारी हल्का द्वारा दिये गये निशानात् के अनुसार लगातार कब्जा काश्त में चला आ रहा है पटवारी हल्का द्वारा बरवक्त कब्जा वा निशानदेही ख.न. 199/2 में 13.00 बीघा व ख.न. 189/9 में 12.00 बीघा भूमि का कब्जा मौका पर दे दिया रकबा का जानकार पटवारी हल्का था जैसे उसने निशान दिये उसी के अनुसार वादी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। भूमि अलौट होने के बाद बिना बताये 13.00 बीघा ख.न. 199/2 में नवीनीकरण किया जाता रहा वा शेष रकबा 12.00 बीघा को ना तो निरस्त किया वा ना ही नवीनीकरण किया गया, देवीलाल को सही स्थिति का ज्ञान तब भी नहीं कराया गया वह अपने पुराने कब्जा के अनुसार काबिज रहा वा आज तक काबिज चला आ रहा है। वादी द्वारा बरवक्त पुख्ता आवंटन ख.न. 199/2 में आवंटित भूमि को पुख्ता आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो कि बरवक्त पुख्ता आवंटन कमेटी में जरिये पत्रावली सं. 800/07 दिनांक 02.06.07 को ख.न. 199/2 का 13.00 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन कर दी वा शेष भूमि के लिये कोई आदेश जारी नहीं किये। जबकि वादी 25.00 बीघा भूमि पुख्ता अलौट कराने का पात्र था। पुख्ता अलौट शुदा भूमि के खातेदारी अधिकार

लगातार 2 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

प्राप्त हो चुके है शेष भूमि के लिये पटवारी हल्का से मिला तो उन्होने इस विषय में अनभिज्ञता जाहिर की व बताया कि तहसीलदार साहब से मिलो वा सम्पर्क करो तत्पश्चात तहसीलदार साहब से समस्त नकलें लेकर दिनांक 06.03.17 को सम्पर्क किया तो उन्होंने कहा कि आप अपने वकील से सम्पर्क करो हम अब कुछ भी नहीं कर सकते, कानूनी कार्यवाही करो। वादी भोला भाला अनपढ़ काश्तकार है वा देहात का रहने वाला खेतीहर मजदूर पेशा व्यक्ति है, खसराजात की भूमि कोलोनाईजेशन से राज्य सरकार के आदेश से डी–कालोनी कर दी गई है अब चूंकि ख.न. 199/2 में भूमि ही नहीं बची वा ख.न. 189/9 में 12.00 बीघा भूमि है जो कि रकबा राज की है जिस पर वादी का कब्जा काश्त मुतवातिर चला आ रहा है, उक्त भूमि जब उपनिवेशन विभाग द्वारा अलौट की गई थी भूमि खसरा जात की थी पटवारी हल्का द्वारा बर–वक्त निशान देही ख.न. 199/2 की भूमि बताते हुये ख.न. 199/2 व ख.न. 189/9 की भूमि जिसकी सीमा लगती है व चिपती भूमि होते हुये तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा दिये गये निशान के अनुसार वादी काबिज चला आ रहा है। वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया गया व स्वयं को रोही सरदारपुरा खर्था का ख.न. 189/9 में 12.00 बीघा भूमि की बाबत गैर खातेदार कृषक घोषित कराने का निवेदन किया। वाद पत्र के समर्थन में वादी द्वारा आवंटन पत्रावली संख्या 800/07 निर्णय दिनांक 02.06.2007 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 2074, नकल जमाबंदी आराजीराज खाता सं. 01 सम्वत् 2071 ता 2074, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2030 ता 2033 ख.न. 199/2, 2034 ता 2037, 2037 ता 2041, 2063 ता 2066, 2071 ता 2074 बतौर सबूत प्रस्तुत की।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के पश्चात प्रतिवादी तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ को जरिये नोटिस तलब किया गया, बाद तामील स्टेट जवाब दिनांक 25.06.2018 को पेश हुआ जिसे शामिल मिस्ल किया गया। पत्रावली पर दिनांक 27.08.2018 को तनकीयात् कायम की गईः–

तनकी न. 1:– आया रोही सरदारपुरा खर्था का ख.न. 199/2 में 25.00 बीघा भूमि सम्वत् 2031 में अलौट भूमि में से 13.00 बीघा भूमि पुख्ता की गई शेष 12.00 बीघा भूमि जो कि ख.न. 189/9 में आवंटन से आज तक कब्जा काश्त में होने के कारण गैर खातेदार कृषक घोषित किया जावे। (वादी)

तनकी न. 2:– आया वादी को उक्त भूमि नियमन/अलौट करते हुये गैर खातेदार कृषक का दर्जा कायम कर करने के आदेश फरमावें।

तनकी न. 3:– अन्य अनुतोष।

तनकीयात् कायम होने के पश्चात वादी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र व कृष्णराम पुत्र श्री इमीचंद व कृष्णराम पुत्र श्री अर्जनराम के शपथ पत्र प्रस्तुत किये, जिरह हेतू अवसर दिये जाने के बाद भी जिरह प्रतिवादी द्वारा नहीं की गई वादी व गवाहान के बयान अंतिम माने गये तथा सरकार की ओर से कोई बयानात् पेश नहीं किये गये तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 12.12.2019 को रखी गई।

लगातार 3 पर.....

उपखण्ड अधिकारी

पत्रावली पर वादी अभिभाषक द्वारा वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये वा वाद पत्र के साथ संलग्न आवंटन पत्रावली संख्या 800/07 निर्णय दिनांक 02.06.2007 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 2074, नकल जमाबंदी आराजीराज खाता सं. 01 सम्वत् 2071 ता 2074, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2030 ता 2033 ख.न. 199/2, 2034 ता 2037, 2037 ता 2041, 2063 ता 2066, 2071 ता 2074 कि ओर ध्यान दिलाते हुये निवेदन किया कि रिकॉर्ड दस्तावेज से बखूबी साबित है कि वादी को रोही सरदारपुरा खर्था का ख.न. 199/2 में 25.00 बीघा भूमि आरजी काश्त पर अलौट हुई थी जिसमें से बरवक्त पुख्ता आवंटन 13.00 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन कर दी गई व शेष 12.00 बीघा भूमि ख.न. 189/9 की ना तो पुख्ता आवंटन की गई वा ना ही खारिज की गई। यद्यपि वादी को ख.न. 199/2 में 25.00 बीघा भूमि आरजी काश्त पर अलौट हुई थी परन्तु निशान देही के समय पटवारी हल्का द्वारा ख.न. 199/2 में 13.00 बीघा व ख.न. 189/9 की 12.00 बीघा भूमि के निशान दिये गये जिस पर वादी का शुरू से आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। अभिभाषक महोदय द्वारा यह भी निवेदन किया की आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा जारी पत्र एफ–5(डी) 16/उपनि./71/बी. 24164–97 दिनांक 28.11.1981 द्वारा जारी निर्देशों में भी यह स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है कि अस्थाई आवंटी अपनी भूमि पर काबिज ना होकर अन्य खसरे की भूमि पर काबिज है जिनका नक्शे में तरमीम नहीं किया गया है ऐसे आवंटियों को अपनी कब्जा काश्त की उतनी भूमि जिसका पूर्व में आवंटन किया गया था का संशोधन आदेश जारी कर रिकॉर्ड व नक्शे में आवंटित भूमि की सीमा तक मुताबिक कब्जा आवंटन माना जावें मुताबिक कब्जा आवंटन दर्ज किया जावें। इसके अलावा उपनिवेशन आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र एफ 6 स.मु./78/बी–19467–96 दिनांक 28.10.1978 में दिये गये निर्देश के अनुसार जहॉ काश्तकार अपनी पुरानी धारण की भूमि पर काबिज होकर खेती करते आ रहे है परन्तु मौका का मिलान अभिलेख से नहीं होता हो वहॉ अभिलेख के मौके के अनुसार संशोधन की कार्यवाही सहायक उपनिवेशन आयुक्त के माध्यम से की जानी चाहिये परन्तु पुराना काश्तकार अपनी भूमि से वंचित नहीं रहे इस बात का ध्यान रखा जावें व मौके की शहादत से जॉच कर ले। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एफ 9 (77) रेवेन्यू–6/2008/15 दिनांक 31.05.2008 की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा अपनी बहस में आर.आर.डी. 2018 पेज 711 तथा आर.एल.डब्ल्यू. 2018 पार्ट 1 आर.जे. पेज 433 न्याय निर्णय प्रस्तुत किये तथा वादी के धारण की भूमि जो कि अब डी–कॉलोनी हो चुकी है एवं उक्त भूमि आवंटन नियम 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत आने के कारण वादी गैर खातेदार कृषक घोषित कराने का अधिकारी है उसे गैर खातेदार कृषक घोषित करते हुये राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश फरमावें।

राजकीय पैरोकार की ओर से नायब तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ उपस्थित हुये व उन्होनें बताया की वादी को रोही सरदारपुरा खर्था का खसरा न. 199/2

लगातार 4 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

में 25.00 बीघा भूमि आरजी काश्त पर अलौट हुई थी ना की ख.न. 189/9 में। वादी का कब्जा ख.न. 199/2 की 13.00 बीघा भूमि पर कब्जा था शेष 12.00 बीघा ख.न. 189/9 की भूमि पर था इसलिये ख.न. 199/2 की 13.00 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन कर दी ख.न. 189/9 की भूमि अलौट नहीं की गई। अब वादी ख.न. 189/9 की भूमि को अलौट कराने या नियमन कराने का पात्र नहीं है, वाद पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजात् का गहनता पूर्वक अध्ययन किया व वादी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय व राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र पर मनन किया जिसमें तनकीयात् अनुसार विवेचन किया, तनकी न. 1:— आया रोही सरदारपुरा खर्था का ख.न. 199/2 में 25.00 बीघा भूमि सम्वत् 2031 में अलौट भूमि में से 13.00 बीघा भूमि पुख्ता की गई शेष 12.00 बीघा भूमि जो कि ख.न. 189/9 में आवंटन से आज तक कब्जा काश्त में होने के कारण गैर खातेदार कृषक घोषित किया जावे। (वादी)

उक्त तनकी न. 1 को सिद्ध करने का भार वादी पर था वादी द्वारा उक्त तनकी को सिद्ध करने के लिये पुख्ता आवंटन पत्रावली की नकल व उसके संलग्न आरजी काश्त की पत्रावली की नकल प्रस्तुत की जिससे यह स्पष्ट है की वादी को रोही सरदारपुरा खर्था के ख.न. 199/2 में 25.00 बीघा भूमि अलौट हुई थी, सम्वत् 2032 में ख.न. 189/9 में 25.00 बीघा का नवीनीकरण किया गया है बतौर सबूत गिरदावरी सम्वत् 2031 ता 2033 प्रस्तुत की गई है उसमें ख.न. 199/2 में 25.00 बीघा का आवंटन का नोट होना दर्ज है। सम्वत् 2034 ता 2037 की गिरदावरी में आवंटन व नवीनीकरण होना साबित है तथा वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार देवीलाल के नाम से ख.न. 199/2 में 13.00 बीघा भूमि का आवंटन के मुताबिक खाता सं 55 में अंकन है जो सम्वत् 2071 ता 2074 से साबित है, वादी द्वारी ख.न. 189/9 की जो जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 2074 के खाता सं. 1 की प्रस्तुत की है जिसमें ख.न. 189/9 में 5.030 है. भूमि आराजी राज दर्ज है जिसमें सुगनाराम को 1.923 है. भूमि अलौट है सुगनाराम द्वारा जरिये बैयनामां तीर्थराम पुत्र श्री भोजाराम को बैय कर दी है व जिसका नामान्तरणकरण भी दर्ज हो चुका है व शेष भूमि आराजी राज दर्ज है जिस पर वादी का कब्जा काश्त है राज्य पक्ष की ओर से वादी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया है। चुंकि वादी को आरजी काश्त पर 25.00 बीघा भूमि खसरा न. 199/2 में अलौट हुई थी परन्तु बरवक्त कब्जा पटवारी हल्का द्वारा ख.न. 199/2 में 13.00 बीघा व ख.न. 189/9 में 12.00 बीघा का मौका पर दे दिया गया इसीलिये सम्वत् 2032 में बरवक्त नवीनीकरण ख.न. 189/2 में 25.00 बीघा का नवीनीकरण कर दिया गया, वादी यद्यपि 25.00 बीघा भूमि पाने का पात्र है ख.न. 189/9 की 12.00 बीघा भूमि ना तो खारिज की गई ना ही अधिशेष की गई व ना ही आज तक किसी अन्य को अलौट हुई है भूमि रकबा राज है इसलिये उक्त भूमि वादी प्राप्त करने का अधिकारी है ऐसे ही राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों/निर्देशों की मंशा है कि

लगातार 5 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

काश्तकार को उसकी भूमि से वंचित नहीं किया जावें, प्रस्तुत न्याय निर्णय प्रकरण पर चस्पा होते है। इस तनकी को बहक वादी निर्णय किया जाता है।

तनकी न. 2:– आया वादी को उक्त भूमि नियमन/अलौट करते हुये गैर खातेदार कृषक का दर्जा कायम कर करने के आदेश फरमावें?

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था चुंकि तनकी न. 1 बहक वादी निर्णित हो चुकी है राज्य पक्ष की ओर से उक्त तनकी के विरूद्ध किसी प्रकार का तर्क/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उक्त तनकी को अन्यथा सिद्ध किया जा सके जहॉ तक का कब्जा काश्त का सवाल है वादी द्वारा प्रस्तुत स्वयं का शपथ पत्र तथा स्वतंत्र गवाहान कृष्णराम पुत्र श्री अर्जनराम व कृष्ण पुत्र श्री इमीचंद के बयानों से पुष्टि होती है राज्य पक्ष की ओर से इसका भी खण्डन नहीं किया गया है वादी द्वारा प्रस्तुत उपनिवेशन आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र एफ 6 स.मु./78/बी–19467–96 दिनांक 28.10.1978 में दिये गये निर्देश के अनुसार जहॉ काश्तकार अपनी पुरानी धारण की भूमि पर काबिज होकर खेती करते आ रहे है परन्तु मौका का मिलान अभिलेख से नहीं होता हो वहॉ अभिलेख के मौके के अनुसार संशोधन की कार्यवाही सहायक उपनिवेशन आयुक्त के माध्यम से की जानी चाहिये परन्तु पुराना काश्तकार अपनी भूमि से वंचित नहीं रहे इस बात का ध्यान रखा जावें व मौके की शहादत से जॉच कर ले। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एफ 9 (77) रेवेन्यू–6/2008/15 दिनांक 31.05.2008 के पठन से यह पाया जाता है कि यदि पटवारी द्वारा मौके पर बाद आवंटन गलत खसरे में कब्जा दे दिया जावें ओर काश्तकार का आवंटित सीमा तक कब्जा हो उस अवस्था में कब्जानुसार आवंटन माना जावें और उसी अनुसार काश्तकार माना जाकर काश्तकार को लाभ पहूॅचाया जावें। समस्त परिस्थीतियों को देखते हुये तनकी न. 2 बहक वादी निर्णय की जाती है।

उक्त तमाम तथ्यों वा दस्तावेजात् का अवलोकन करने व तनकीयात् पर विवेचन के पश्चात इस निश्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि वाद वादी स्वीकार करते हुये वाके रोही सरदारपुरा खर्था जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 74 के खाता सं. 01 में ख.न. 189/9 की 3.036 है. (12.00 बीघा) भूमि जो कि आराजी राज है वादी देवीलाल पुत्र श्री रतुराम जाट को उक्त भूमि रोही सरदारपुरा खर्था ख.न. 189/9 की 3.036 है. का आरजी काश्तकार मूल आवंटन सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ के ख.न. 199/2 का 13.00 बीघा एवं ख.न. 189/9 की 3.036 है. अर्थात 12.00 का आरजी काश्तकार (गैर खातेदार कृषक) आवंटन नियम 1970 के तहत घोषित किया जाता है घोषित 12.00 बीघा भूमि की रकम राज नियमानुसार जमा करवाकर रिकॉर्ड में अमल दरामर किया जावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो, हुक्म आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तरतीब व तकमील कर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास – मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अनवान :–

देवीलाल पुत्र श्री रतुराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....वादी

बनाम

राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार भूमि अधिकारी सूरतगढ़, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.ए. मुकदमा न. 100 वर्ष 2017 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर वकील वादी श्री अशोक कुमार छाबड़ा व पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि वाके रोही सरदारपुरा खर्था का जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 74 के खाता सं. 01 के ख.न. 189/9 में 3.036 है. (12.00 बीघा) देवीलाल पुत्र श्री रतुराम जाट को आ.का. गैर खातेदार कृषक आवंटन नियम 1970 के तहत घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें रकम राज बकाया होने पर वसूल की जावें। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करेंगें।

नोज.....×..... मुबलिग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा .....×..... इस मुकदमें में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×..... आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 04/02/2020 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.19 16:45:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: